ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

आदेश

आ०सं० :–3/अ०प्र०–1–19/18 994 /पटना, दिनांक :– 28.5.2020

श्री अवधेश कुमार राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर के विरूद्ध स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर में वर्ष–2017–18 में पदस्थापन के दौरान बैक डेटिंग के नियत से कार्यालय के निर्गत पंजी में खाली स्थान छोड़ने एवं निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–7/2017–18 में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 666 अनु0 दिनांक 07.02.2018 द्वारा निलंबित करने एवं विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री राम को अधिसूचना संख्या–531–सह–पठित ज्ञापांक 532 दिनांक 13.03.2018 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प संख्या–533 दिनांक 13.03.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री राम द्वारा निलंबन आदेश के विरूद्ध समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अधिसूचना संख्या–1034–सह–पठित ज्ञापांक 1035 दिनांक 10.05.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 6244 अनु0 दिनांक 30.08.2018 द्वारा श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री राम के विरूद्ध गठित प्रथम आरोप को आंशिक प्रमाणित एवं द्वितीय आरोप अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आंशिक प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2560 अनु0 दिनांक 24.10.2018 एवं अप्रमाणित आरोपों के लिए असहमति संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 479 दिनांक 25.02.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री राम के पत्रांक 73 दिनांक 23.01.2019 एवं पत्रांक 660 अनु0 दिनांक 24.06.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। जिसके समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त करते हए श्री अवधेश कुमार राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर को अधिसूचना संख्या–330–सह–पठित ज्ञापांक 331 दिनांक 15.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत कालमान वेतन के न्यूनतम प्रक्रम (पे लेवल–11 अंतर्गत 99,500 से 67,700) पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गयी।

6. उक्त अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध श्री अवधेश कुमार राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 790 अनु० दिनांक 14.03.2020 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

7. श्री राम द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर कोई नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उन्हीं तथ्यों को पुनः उठाया गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष विभागीय कार्यवाही के दौरान एवं द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने के क्रम में विभाग के समक्ष उल्लेख किया गया था। उक्त पृष्ठभूमि में श्री राम के पुर्नविचार अभ्यावेदन के आलोक में अधिरोपित शास्ति के पुनर्विचार/संशोधन करने का कोई ठोस आधार नहीं दिखता है।

अतएव उक्त आलोक में श्री अवधेश कुमार राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर, सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा दंडादेश अधिसूचना संख्या–330–सह–पठित ज्ञापांक 331 दिनांक 15.01.2020 के विरूद्ध समर्पित पुर्नविचार अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

27/5/2020
(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 994 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को वाद संख्या–1/(योजना एवं विकास) 01/2017 के आलोक में माननीय लोकायुक्त के न्यायिक सदस्य के अवलोकनार्थ प्रेषित।

27/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 994 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर/प्रशाखा पदाधिकारी–6/श्री अवधेश कुमार राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर, सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता– मो०–पूर्वी लक्ष्मीनगर खेमनीचक तेतरपथ, डाकघर–न्यु जगनपुरा, थाना–रामकृष्णानगर, जिला–पटना, पिन कोड–800030, मो०–8651748145 को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 994 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

Sd/ 27/5/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–19/18 994 पटना/दिनांक :– 28.5.2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/ 27/5/2020
अपर सचिव